

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Speed post /त्रिव डाक
Violation letter/उल्लंघन पत्र
Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: **MCDR-MiFLOCu/1/2023-AJM-IBM_RO_AJM**

दिनांक: /07/2023

प्रेषित: खान एजेंट,
कोलिहान कापर खान,
मेसर्स हिंदुस्तान कापर लिमिटेड,
पोस्ट: खेतडोी नगर,
जिला: झुन्झुनू (राजस्थान),
पिन: 333504.
(e-mail: sree_k@hindustancopper.com)

विषय: राजस्थान राज्य के झुन्झुनू जिले में स्थित आपकी कोलिहान कापर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालय के डा. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 07.06.2023 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation		
11 (1)	(i) Development		
	Level	Proposed Development (Meter)	Actual Development (Meter)
	306 mRL	0	202.10
	246 mRL	0	373.40
	169 mRL	0	81.64
	124 mRL	75	122.46
	109 mRL	776	520.88
	64 mRL	1705	636.62
	0 mRL	444	24.60
	TOTAL	3000	1961.70
	It shows that underground development has not been carried out as per approved proposal and there is shortfall in the total development also.		
	(ii) Production		
	Proposed (Tonnes)	Actual (Tonnes)	
	720000 Tonnes	400134 Tonnes	
	It shows that underground production has not been carried out as per approved proposal and there is shortfall of about 44% in the total production also.		
	(iii) Waste dump management has not been carried out as per approved proposal.		
31(4)	Plan & Sections required to be kept under these rules have not been maintained up to date within three months.		

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकषित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)
उप खान नियंत्रक (OIC)
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, झुन्झुनू ।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (OIC)
भारतीय खान ब्यूरो